

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

परिपत्र

क्रमांक :- प.5 (294) /निपेवि/नियम/2017/ 728-800 H

दिनांक : 14-02-2018

विषय:-राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधन करने के संबंध में।

संदर्भ:- वित्त (नियम) विभाग, जयपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ. 12 (6)/एफ.डी./रूल्स/

2017 दिनांक 30.10.2017, दिनांक 05.12.2017 एवं समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 09.12.2017 एवं 24-01-2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञापनों एवं अधिसूचनाओं के क्रम में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश पत्र क्रमांक 1511-80 H दिनांक 08.11.2017, 1991-2065 H दिनांक 07.12.2017 एवं 05-75 H दिनांक 02.01.2018 की निरंतरता में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जा रहा है:-

1. वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी संदर्भित ज्ञापन एवं अधिसूचना के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन का लाभ सिर्फ राजस्थान राज्य के सिविल पेंशनर्स को ही देय है तथा उक्त लाभ दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी किया गया है।
2. दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्/मृत पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन उनके द्वारा छोटे वेतन आयोग के अन्तर्गत प्राप्त मूल/बेसिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अनुसार किया जाना है। अतिरिक्त पेंशन की राशि को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना है।
3. दिनांक 01.01.2016 से 30.09.2017 के मध्य सेवानिवृत्/मृत कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के संबंध में प्रथमतः वेतन संशोधन कार्मिक के सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा, तत्पश्चात् विभाग से प्रकरण प्राप्त होने पर पेंशन विभाग के स्तर से पेंशन परिलाभों की संशोधित अधिकृति जारी की जावेगी। इस संशोधित अधिकृति के आधार पर कार्मिकों को भुगतान क्रमशः 30%, 30%, 40% के अनुपात में अधिकृति में अंकित दिनाकों को किया जावेगा।
4. पेंशन संशोधन के समय पेंशनर के पी.पी.ओ में वर्णित पारिवारिक पेंशन को भी सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से निम्नानुसार की जावे:-
(क) सेवा में रहते हुए मृत्यु की दशा में जारी पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों (FPPO) में पेंशनर की मृत्यु की आगामी तिथि से 7 वर्ष तक बढ़ी हुई दर (Enhanced Rate) का भुगतान 2.57 से गुणा कर किया जाना है।
(ख) सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनर की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान 7 वर्ष अथवा पेंशनर की 67 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक ही किया जाना है। तत्पश्चात् इन प्रकरणों में आगे से घटी हुई दर को 2.57 से गुणा कर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जावेगा।
5. दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक की अवधि के एरियर का भुगतान 3 किस्तों में 30, 30 एवं 40 के अनुपात में वर्ष 2018 में दिनांक 01.04.2018, 01.07.2018 एवं 01.10.2018 को या उसके बाद किया जावेगा लेकिन किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु कि स्थिति में पेंशन एरियर की पूरी राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नगद में किया जावेगा।
6. जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन राशि रु 3450/- प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है, इन प्रकरणों में वर्तमान पेंशन राशि को 2.57 से गुणा करने पर, जो भी राशि आती है यथा रु 8,867/- आता है तो यह देय होगी, न की न्यूनतम संशोधित पेंशन रु 8850/-। लेकिन यदि संशोधित पेंशन राशि रु 8850/- प्रतिमाह से कम आती है तो न्यूनतम पेंशन राशि रु 8850/- देय होगी।
7. निम्नांकित श्रेणियों के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन का संशोधन उक्त नियमों को तहत देय नहीं किया गया है:-
 - i. ठिकाना पेंशन
 - ii. जागीदार पेंशन
 - iii. सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा, निशक्तजन पेंशन)
 - iv. मीसा/डी.आई.आर बन्दियों को पेंशन
 - v. स्वतन्त्रता सेनानी पेंशनर्स
 - vi. न्यायिक सेवा के अधिकारी

